**पिथौरागढ तथा धरचुला के बीच भूमि अर्जित किया जाना**

81. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ और धरचुला के बीच की जमीन छावनी के लिए अर्जित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भूमि के उक्त अर्जन के कारण अनेक व्यक्ति बेघर हो गये है,

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार तराई भवर के उन बेघर व्यक्तियो को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर भूमि आबंटित करने का है,

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नही, तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनके पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम)** . (क) पिथौरागढ और धरचुला के बीच छावनी कार्यो के लिए कोई भूमि अर्जित नही की गई है। तथापि पिथौरागढ और धरचुला के बीच के क्षेत्र मे निम्नलिखित भूमि अर्जित करने के लिए सस्वीकृति दी जा चुकी है :

| स्थिति | क्षेत्र (एकडो मे) | |
|---|---|---|
| 1. पिथौरागढ और धरचुला के बीच | 93·770 | इस समय किराये पर है। |
| 2. धरचुला | 142 328 | इस समय अधिग्रहण की हुई है। |
| 3. अस्कोट | 11·328 | इस समय अधिग्रहण की हुई है। |
| 4. पिथौरागढ टाउन के दक्षिण-पूर्व मे | 29·69 | भूमि को अर्जन किया जा रहा है और सैनिक अधिकारियो को सौंपी जानी है। |

(ख) उपर्युक्त (क) द्वारा अर्जन की गई अधिकतर भूमि पहले से ही रक्षा विभाग के कब्जे में थी और इस कारण किसी व्यक्ति को बेघर नही किया गया है। तथापि, यह समझा जाता है कि 600 एकड निजी भूमि को अर्जन करने के कारण लगभग 500 व्यक्ति विस्थापित हो जाएंगे।

(ग) से (ङ). जिन व्यक्तियो की भूमि अधिग्रहीत की जाती है, वे स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा आंके गये मुआवजे को पाने के हकदार हैं। उन्हे पुन: पुर्नवास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

**Indian Deputy High Commissioner's Wife Subjected to Ill-Treatment by Pakistan Authorities**

83. SHRI C. CHITTIBABU :
SHRI SEZHIYAN :

Will the VIDESH MANTRI be pleased to state :

(a) whether the wife of our Deputy High Commissioner in Dacca was subjected to ill-treatment by the Pakistan authorities in Karachi while she was on her way to India;

(b) if so, the details of the incident; and

(c) what steps Government have taken to